न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या – 02/2024 निर्णय दिनांक –17.10.2024
(जी.सी.एम.एस.-2024/0051)

(प्रा.पत्र अ.धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं धारा 88 आर.टी. एक्ट.)

जगदीश पुत्र श्री कृष्णलाल उम्र वर्ष निवासी 7 एस.जे.एम. तहसील व जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

........प्रार्थी..........

बनाम-

1- औम प्रकाश पुत्र श्री किस्तुरा राम निवासी 3 आर.वी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
2- कांता देवी पुत्री श्री कृष्ण निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
3- धापी देवी पत्नी श्री कृष्णलाल निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
4- बृजलाल पुत्र श्री किस्तुरा राम निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
5- भूपराम पुत्र श्री किस्तुरा राम निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
6- मेघराज पुत्र श्री किस्तुरा राम निवासी 3 आर. बी. एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
7- महेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
8- रामलाल पुत्र श्री किस्तुरा राम निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
9- हनुमान पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
10- हीरा राम पुत्र श्री किस्तुरा राम निवासी 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
11- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

उपस्थिति- 01. श्री [illegible], वकील [illegible]
02. पैराकार राज. तहसील [illegible] श्री [illegible]यनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:24 IST
Reason: SelfAttested

..निर्णय..

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि[illegible]र्थी व अप्रार्थी संख्या 1[illegible] के नाम से संयुक्त खाता में चक 3 आर. बी.एम. का खाता संख्या 66 प.नं. 227/432

Scanned with CamScanner

मु.नं. 12 का 6.325 है. अनकमाण्ड व प.न. 228/432 मु.नं. 13 का 6.262 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 12.587 है. रकबा है। जिसमें प्रार्थी के नाम से 1/45 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी में मुश्तरका खाता में दर्ज है। जिसका प्रार्थी ही मालिक वा काबिज है। उक्त भूमि प्रार्थी को विरास्तन में प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण जगदीश कुमार दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम जगदीश है तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार के जन आधार कार्ड आदि तमाम पहचान के दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम जगदीश दर्ज है। इस बावत प्रार्थी को पता चलने पर प्रार्थी ने राजस्व तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। इस पर राजस्व तहसीलदार के द्वारा यह कहा गया कि यह हमारे क्षेत्राधिकार का नही है। आप उपजिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र पेश करो। जिस कारण प्रार्थी द्वारा बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय में दूरूस्ती का प्रार्थना पेश किया जा रहा है। संयुक्त खाता के रकबा चक 3 आर.बी.एम. का खाता संख्या 66 प.नं. 227/432 मु.नं. 12 का 6.325 है. अनकमाण्ड व प.न. 228/432 मु.नं. 13 का 6.262 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 12.587 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार के स्थान पर जगदीश दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार राजस्व को प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके चक 3 आर.बी.एम. का खाता संख्या 66 प.नं. 227/432 मु.नं. 12 का 6.325 है. अनकमाण्ड व प.न.228/432 मु.नं. 13 का 6.262 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 12.587 है. भूमि मुश्तरका खाता दर्ज रिकार्ड है, जिसमें वादी जगदीश कुमार पुत्र कृष्णलाल हिस्सा 1/45 जाति कुम्हा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सेग्रीगेसन से पूर्व जमाबन्दी सम्वंत 2071-74 में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार पुत्र कृष्ण लाल हिस्सा 1/45 जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड राशन कार्ड, आदि में जगदीश दर्ज है। वादी अपना नाम जगदीश कुमार के स्थान पर जगदीश करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए आदेश दिया जाता है कि चक 3 आर.बी.एम. का खाता संख्या 66 प.नं. 227/432 मु.नं. 12 का 6.325 है. अनकमाण्ड व प.न. 228/432 मु.नं. 13 का 6.262 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 12.587 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश कुमार के स्थान पर जगदीश अकिंत किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली [illegible]मार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आदिनांक 17.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर।

Scanned with CamScanner